



पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान डा0 प्रवीन रंजन श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर एवं श्री शुभ शुचित क्षेत्राधिकारी महोदय चांदपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करते हुए थाना चांदपुर पुलिस द्वारा दिनांक 17.06.2021 को समय 11.00 बजे काले वाहे के किनारे चौकी पाण्डव नगर थाना चांदपुर से अभियुक्तगण 1.कावेन्द्र सिंह पुत्र सुखराम सिंह 2.गौरव पुत्र सोमपाल 3.सौरभ पुत्र सोमपाल निवासीगण पहाडपुर पट्टी थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा को अवैध शराब निष्कर्षण करते हुए 50 लीटर कच्ची शराब ,1000 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण (भट्टी) सहित गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्तगण

- 1.कावेन्द्र सिंह पुत्र सुखराम सिंह निवासी ग्राम पहाडपुर पट्टी थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा
- 2.गौरव पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम पहाडपुर पट्टी थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा
- 3.सौरभ पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम पहाडपुर पट्टी थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा



अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अपराध

मु0अ0सं0 363/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी

50 लीटर कच्ची शराब ,1000 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण (भट्टी)

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोग चोरी छिपे गंगा खादर के क्षेत्र में कच्ची शराबका निर्माण करते है । शराब को बेचकर हमें अच्छे रुपये मिल जाते हैं जिनको बांटकर अपनी जरूरतों को पूरा करते है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार
- 2.का0 2373 मोहित तोमर
- 3.का0 1673 बृजकिशोर शर्मा
- 4.का0 1592 किरनपाल सिंह
- 5.का0 1092 राजू सागर

थाना शेरकोट:- आज दिनांक 17.06.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/21 धारा 498ए/323/504/506/377 भादवि0 व धारा 3/4 मुस्लिम विवाह अधि0 तथा धारा 3/4 दहेज अधि0 का वांछित अभि0 वसीम अहमद पुत्र नासिर अहमद निवासी मौ0 राजोवाला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना रेहड़:- आज दिनांक 17.06.2021 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0 हेतराम पुत्र हरनाम निवासी बादीगढ़ थाना रेहड़ को गिरफ्तार किया गया।

